न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 129/2023

1 हरद्वारी उर्फ हरदेव पुत्र शंकरलाल जाति बलाई निवासी श्यामनगर तहसील नीमकाथाना नवसृजित जिला नीमकाथाना।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार नीमकाथाना नवसृजित जिला नीमकाथाना।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना प्रकरण हरद्वारी उर्फ हरदेव बनाम तहसीलदार मुकदमा नम्बर 172/2017 अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः-01.5.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 172/2017 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने विचारण न्यायालय में दावा उद्घोषणा का प्रस्तुत किया कि विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 1030/1 रकबा 1.00 हैक्टेयर तन ग्राम श्याम नगर तहसील नीमकाथाना स्थित है जिसका हाल नया खसरा नम्बर 208 रकबा 1.00 हैक्टेयर उक्त भूमि को अपीलांट/वादी 40 वर्ष से काश्त कर काबिज चला आ रहा है व अपीलांट/वादी का कब्जा पुराना मानकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा दिनांक 16.10.1998 को विवादित भूमि को अपीलांट/वादी को नियमन किए जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को सिफारिश की जिस पर नियमन परामर्शदात्री समिति कैम्प श्यामनगर द्वारा दिनांक 18.06.1999 को अपीलांट/वादी के हक में नियमन कर दिया। जिसकी खातेदारी अभी तक अपीलांट/वादी के हक में अंकित नही हुई। अपीलांट ने रेस्पोडेंट के यहां आवेदन दर्ज किये जाने खातेदारी प्रस्तुत किया लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा कोई कार्यवाही नही किए जाने पर अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वाद उद्घोषणा का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1030/1 रकबा 1.00 हैक्टेयर ग्राम श्यामनगर कर कब्जा काश्त चला आ रहा है। कब्जे काश्त के आधार पर ही तहसीलदार नीमकाथाना ने धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही कर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को दिनांक 16.10.1998 को नियमन हेतु सिफारिश की व नियमन परामर्शदात्री समिति नीमकाथाना द्वारा दिनांक 18.06.1999 को विवादित भूमि खसरा नम्बर 1030/1 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि नियमन किए जाने की आज्ञा पारित की जिसकी खातेदारी कानूनन उसी समय हो जानी चाहिए थी परन्तु

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार नीमकाथाना जो एक सक्षम अथोरिटी है जिसकी नियमन सिफारिश रिपोर्ट में निरन्तर कब्जे की पुष्टि होते हुये भी उस पर गौर किए बिना ही विचारण न्यायालय ने अपीलांट/वादी का खारिज करने में विधिक भूल की है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत अपील अपीलांट की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेज में वादी के पक्ष में दिनांक 18.06.1999 को ग्राम श्यामनगर की विवादित भूमि खसरा नम्बर 1030/1 रकबा 1.00 हैक्टेयर नियमन हुई थी। तहसीलदार नीमकाथाना रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 से जाहिर है कि साबिक खसरा नम्बर 1030/1 रकबा 1.00 हैक्टेयर जिसके हाल खसरा नम्बर 208 पर वादी का कब्जा संवत 2079 में किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट से साबित है कि वादी का पुराना कब्जा नही है। वादी ने पत्रावली में ऐसा कोई रिकार्ड या दस्तावेज ना ही तो विचारण न्यायालय और ना ही अपील में पेश किया है। जिससे यह साबित होता हो कि नियमन होने के पश्चात वादी का विवादित भूमि पर लगातार कब्जा काश्त साबित होता हों। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय के निर्णय मे हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर